भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1024

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

एसडीएस 2.0 के अंतर्गत जनजातीय होम स्टे योजना

†1024. श्री राजा राम सिंहः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वदेश दर्शन योजना 2.0/ एसडीएस योजना के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय से कोई परामर्श किया गया है और यदि हां, तो एसडीएस 2.0 के अंतर्गत जनजातीय होम स्टे योजना के संबंध में जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और निजता के संबंध में उक्त मंत्रालय की टिप्पणियों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कोई परामर्श किया गया है और यदि हां, तो पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के संबंध में उक्त मंत्रालय की टिप्पणियों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जनजातीय बहुलता वाली राज्य सरकारों से संशोधित योजना के संबंध में परामर्श किया गया है और यदि हां, तो राज्य सरकारों के विचारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): सरकार ने 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' के भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय होमस्टे के विकास की पहल को स्वीकृति प्रदान की है। उपरोक्त पहल में 1000 होमस्टे के विकास के लिए 5 लाख रुपये प्रति इकाई तक (नए निर्माण के लिए), 3 लाख रुपये तक (नवीकरण के लिए) और ग्राम समुदाय की जरूरत के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है। पहल के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

इन योजनाओं को केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श सहित निर्धारित दिशा-निर्देशों, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी नियम एवं विनियम के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है।

****